भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-179

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

यूजीसी दिशानिर्देशों के अंतर्गत भारत में विदेशी विश्वविद्यालय

†179. **श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिसर स्थापित करने के लिए आवेदन करने वाले विदेशी विश्वविद्यालयों की संख्या का राज्यवार, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के संदर्भ में ब्यौरा क्या है;

(ख) इन आवेदनों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है, जिसमें उन संस्थानों की संख्या भी शामिल है जिन्हें आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत मंजूरी दी गई है और आशय पत्र जारी किया गया है;

(ग) इन विदेशी संस्थानों द्वारा भारत में प्रस्तावित किए जाने वाले शैक्षणिक अवसंरचना और कार्यक्रम क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में इन विदेशी परिसरों की स्थापना का समर्थन करने के लिए आवंटित निधि का आंध्र प्रदेश को आवंटित निधि पर विशेष ध्यान देते हुए राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत में इन विदेशी परिसरों के कार्यकरण की निगरानी के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों के अंतर्गत क्या निगरानी तंत्र स्थापित किए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने यूजीसी (भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 को अधिसूचित किया है। जैसा कि यूजीसी द्वारा सूचित किया गया है, उसे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन, यूके; लिंकन यूनिवर्सिटी, मलेशिया; लाइफ चिरोप्रैक्टिक कॉलेज वेस्ट, यूएसए; और इस्टीटूटो यूरोपियो डी डिजाइन, इटली से भारत में अपने परिसरों की स्थापना के लिए अपने पोर्टल पर सभी प्रकार से पूर्ण ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन, यूके का आवेदन स्वीकृत हो गया है तथा यूजीसी द्वारा आशय पत्र जारी कर दिया गया है।

साउथेम्प्टन विश्वविद्यालय से प्राप्त आवेदन के अनुसार, विश्वविद्यालय की गुरुग्राम, हरियाणा में अपना परिसर खोलने तथा व्यवसाय और प्रबंधन, कंप्यूटिंग, विधि, इंजीनियरिंग, कला और डिजाइन, जैव विज्ञान और जीवन विज्ञान पर केंद्रित विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करने की योजना है।

(घ): उपर्युक्त यूजीसी विनियम, 2023 भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना के सहयोग के लिए सरकार द्वारा निधि के आवंटन को निर्दिष्ट नहीं करते हैं।

(ङ): उपर्युक्त यूजीसी विनियम, 2023 के खंड 10 में यह उपबंध है कि यूजीसी को परिसर का दौरा करने और बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक कार्यक्रमों और समग्र गुणवत्ता और उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए इसके संचालन की जांच करने की शक्ति होगी।

*****